

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2022

संख्या सांका०नि० 95/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1986 में, नियम 5 में, "सत्रह" शब्द के स्थान पर, "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

पी० के० दास,
वित्तायुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2022

No. G.S.R. 95/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Financial Commissioner's Office (Group B) Service Rules, 1986, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Financial Commissioner's Office (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Financial Commissioner's Office (Group B) Service Rules, 1986, in rule 5, for the word "seventeen" the word "eighteen" shall be substituted.

P. K. DAS,
Financial Commissioner Revenue and
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.